

**ग्राम पंचायत रौंखर, विकास खण्ड नगरोंटा बगवाँ, जिला कौंगड़ा के लेखाओं का
अंकेंक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग -1

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-5C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेंक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत रौंखर, विकास खण्ड नगरोंटा बगवाँ, जिला कौंगड़ा के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं का अंकेंक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेंक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान :-

क्र०	नाम	अवधि
1	श्रीमति कल्पना देवी	01/04/2014 से 22/01/2016
2	श्री धर्मपाल काहलों	23.01.2016 से लगातार

सचिव :-

क्र०	नाम	अवधि
1	श्री सुभाष चन्द	01.04.2014 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :- ग्राम पंचायत रौंखर, विकास खण्ड नगरोंटा बगवाँ जिला कौंगड़ा के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं के अंकेंक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	6	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष	0.15
2	7	अनुदान राशि का उपयोग न करना	10.92
3	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना क्रय करने बारे	0.17

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत रौंखर, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ जिला काँगड़ा के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण सर्वश्री विरेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी व मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 19.03.2018 से 22.03.2018 तक ग्राम पंचायत रौंखर के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय के लिए माह 02/15, 02/16 व 06/16 एवं व्यय के लिए माह 10/2014, 09/2015, व 10/2016 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैरा ग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवदेन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवदेन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत रौंखर, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला काँगड़ा के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. शिमला-171009 को शीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना सं. 32 दिनांक 22.03.2018 द्वारा सचिव, पंचायत रौंखर से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत रौंखर, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ जिला काँगड़ा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 4/2014 से 03/2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :

स्वः स्रोत

वर्ष	अथशेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तशेष
2014—15	232029.00	35370.00	24777.00	292176.00	59248.00	232928.00
2015—16	232928.00	38445.00	25898.00	297271.00	50142.00	247129.00
2016—17	247129.00	41305.00	49821.00	338255.00	55686.00	282569.00

अनुदान

वर्ष	अथशेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तशेष (₹)
2014—15	410714.00	1815422.00	—	2226136.00	1793601.00	432535.00
2015—16	432535.00	2219277.00	—	2651812.00	1861102.00	790710.00
2016—17	790710.00	2023238.00	—	2813948.00	1721463.00	1092485.00

स्वःस्रोत व अनुदानों की दिनांक 31.3.2017 का शेष 1375054.00

दिनांक 31.3.2017 को बैंक में जमा राशि का विवरण :-

क्रम सं०	बैंक का नाम	खाता संख्या	जमा राशि
1	के०सी०सी० नगरोटा बगवाँ	20012008236	381451.00
2	के०सी०सी० नगरोटा बगवाँ	50056591267	991402.00
2	हस्तगत राशि		2201.00

कुल योग : ₹1375054.00

5 रोकड़ बही का लेखांकन नियमानुसार न करना:-

ग्राम पंचायत रौखर की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) की रोकड़ बही के लेखांकन में नियमों की पूर्ण अवहेलना की जा रही है। लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही प्रतिदिन हुए लेनदेन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त एवं वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत रौखर की रोकड़ बहियों के रख रखाव में इन नियमों की अनुपालना नहीं की गई है। अतः नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस

कार्यवाही बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6 पंचायत राजस्व ₹0.15 लाख वसूली हेतु शेष :-

पंचायत सचिव/सहायक ग्राम पंचायत रौंखर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्व स्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2017 तक पंचायत के राजस्व ₹15340 की वसूली शेष थी:-

गृहकर :-

क्र०सं०	वर्ष	अथशेष	वर्ष के दौरान मांग	योग	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	अन्तशेष
1	2014-15	शून्य	15340.00	15340.00	शून्य	15340.00
2	2015-16	15340.00	15340.00	30680.00	30680.00	शून्य
3	2016-17	शून्य	15340.00	15340.00	शून्य	15340.00

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

7 अनुदान ₹10.92 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2017 तक अनुदान से प्राप्त राशियों में से ₹1092485 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा भिन्न-भिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशियों को प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹0.17 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना:—

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा "परिशिष्ट-क" पर वर्णित ₹17300 की निर्माण सामग्री का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित है। अतः औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना खरीदी गई सामग्री का औचित्य स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाये व अनुपालना से अंकक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही क्रय करना सुनिश्चित किया जाए।

9 ₹0.22 लाख की निर्माण सामग्री का भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज न करना:—

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गये भण्डार का फार्म 26 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था परन्तु पंचायत के अवधि 4/14 से 3/17 तक के दौरान परिशिष्ट "ख" पर वर्णित निर्माण सामग्री को क्रय के उपरान्त न तो भण्डार रजिस्टर में दर्ज किया गया तथा न ही इसका आगामी निपटारा किया गया, जिसका कारण स्पष्ट करते हुए अविलम्ब क्रय की गई निर्माण सामग्री को भण्डार रजिस्टर पर दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत किया जाये

10 स्वः स्रोत से प्राप्त ₹0.09 लाख की आय को सीधे व्यय करना :—

अंकक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा स्वः स्रोत से प्राप्त आय ₹9232 को बैंक में जमा किए बिना सीधे व्यय किया गया है जबकि नियमानुसार प्रत्येक प्राप्ति को पहले रोकड़बही पर दर्ज करके बैंक में जमा करवाये जाने के पश्चात ही इनका भुगतान किया जाना था। जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें तथा भविष्य में नियमानुसार ही कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

व्यय की तिथि	व्यय राशि	विवरण
28.09.2014	675.00	बिजली बिल की अदायगी
29.11.2014	494.00	बिजली बिल की अदायगी

07.02.2015	960.00	हीटर की मुरम्मत
23.10.2015	665.00	बिजली बिल की अदायगी
27.03.2016	3078.00	बिजली बिल की अदायगी
27.03.2016	350.00	स्टेशनरी क्य की गई
27.03.2016	960.00	स्टेशनरी क्य की गई
27.03.2016	680.00	कम्प्यूटर मुरम्मत
27.03.2016	1370.00	बिजली बिल की अदायगी
कुल	₹9232.00	

11 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह के बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अविलम्ब उचित कार्यवाही अमल में लाई जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

12 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना :-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इन रजिस्ट्रों का रख रखाव न करने का कारण स्पष्ट करते हुए अविलम्ब इनका रख-रखाव नियमानुसार सुनिश्चित किया जाये।

क्रम सं०	अभिलेख/रजिस्टर का नाम
1	गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर
2	शराब शुल्क प्राप्ति रजिस्टर
3	चल-अचल सम्पत्ति रजिस्टर
4	निर्माण कार्य रजिस्टर
5	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
6	रसीदों का स्टॉक रजिस्टर
7	स्टॉक रजिस्टर
8	विकास निष्पादन रजिस्टर

13 अनुदानों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण अवधि के दौरान जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणामस्वरूप व्यय की गई अनुदानों की राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी । अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय समस्त अनुदानों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को आगामी अंकेक्षण पर दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

14 लघु आपत्ति विवरणिका :- यह अलग से जारी नहीं की गई है ।

15 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार की अत्याधिक आवश्यकता है ।

हस्ता / -
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल०ए०) एच (पंच) (15)(2)202 / 2018 खण्ड-1-5511-5514 दिनांक-23.08.2018 शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत**
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत रौंखर, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें ।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है ।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि०प्र०
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला कांगड़ा हि०प्र०

हस्ता / -
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

फोन नं० ०१७७-२६२०८८१